



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE PROHIBITION ACT
NAIWADA COURT
NOTA
COURT FEE
N.K.
Authorization No. 2610
L No-729.

STAMP DUTY

00000

Rs. 000002

375300

Zero+Zero+Zero

INDIA



ATTE
M. Nirmal Bhuvanavastav
Nirmal Bhuvanavastav
NOTA.....NAIWADA

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) ३९, नावादा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अफिसर के समक्ष आमर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग—क

मैं अशोक कुमार

आयु ३७ वर्ष, जो ३५४१ + ५० = ३९४१ नावादा

**पुत्र/पुत्री/पत्नी राजेन्द्र मुड्डेपो
पात्र + प्राप्ति नावादा धारा नारायणी

(डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से आमर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं राजनीतिक विषय पाठी। (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
किया गया आमर्थी / **एक सबसंबंधी आमर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(*जो लागू न हो उसे काट दे)
(2) मेरी नाम ३९४१ १३७० (वहाँ) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं ०३९
के क्रम सं १३८५ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ८०५१०२ ५५३ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) _____
है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और अय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

10 MAR 2011

09 Jan 2011
09 Jan 2011

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिया वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ज़िला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नारदीगंज थाना का ८८३००१। 731/2002
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराध) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	पाठ्य 147/148/149/341 337/427/435/352/ 328) ३७।।। ०९ अगस्त २००२
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्यायिक दण्डनिवार नव।१।
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	श्री रमेश प्रसाद न्यायिक दण्डनिवार, नव।१।
(ङ.)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोपित विरचित किए गए थे	आरोप दण्डनिवार हुआ ८।।। नव।१।
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिया वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं	नह।।



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
[पूर्वोक्त]

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	भर्त
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	भर्त
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	भर्त

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक विनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	भर्त
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	भर्त
(ग)	अधिरोपित दंड	भर्त
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रासिथिति	भर्त

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्व.	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	80000	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियंत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे)	म ३१० ४७२ - ३०,०००.००	१ अर ४०० ०११८०० ३६०००	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ix)	समग्र कुल मूल्य	३०,८००००	३६०००	शुल्क	शुल्क	शुल्क

N आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

No-729 टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा का उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

विनिधान		१०-मी	२०-मी	३०-मी	४०-मी	५०-मी
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	७१८	७१८	७१८	७१८	७१८
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
(iii)	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	७१८	७१८	७१८	७१८	७१८
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	७१८	७१८	७१८	७१८	७१८
	निर्मिति क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
(iv)	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	७१८	७१८	७१८	७१८	७१८
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	प्रकाश	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	४००	७१८	७१८	७१८	७१८
	निर्मिति क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३०२०	७१८	७१८	७१८	७१८
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी	२०-मी
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में	७१८	७१८	७१८	७१८	७१८



क्रय की तारीख	२०/१	२०/५	२०/८	२०/९	२०/९
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्म	शु-भ	शु-भ	शु-भ	शु-भ
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-भ	शु-भ	शु-भ	शु-भ	शु-भ
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२०/१	२०/८	२०/९	२०/९	२०/९
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शु-भ	शु-भ	शु-भ	शु-भ	शु-भ
(VI) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शु-भ	शु-भ	शु-भ	शु-भ	शु-भ

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के पति दायित्वों / को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बौरों का पृथक् विवरण दें।)

क्र० सं०	विवरण	संघ	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२०/१	२०/१	२०/१	२०/१	२०/१
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२०/१	२०/१	२०/१	२०/१	२०/१
	कोई अन्य दायित्व	२०/८	२०/८	२०/८	२०/८	२०/८
	दायित्वों का कुल योग	२०/८	२०/८	२०/८	२०/८	२०/८
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य आय-कर शोध्य	२०/८	२०/८	२०/८	२०/८	२०/८

NOTE
N K
SHRI VASU
L No. 7296
2017 OP BIR

	धनकर शोध्य	२०८	श्रील	२०८	२०८	२०८	२०८
	सेवाकर शोध्य	२०८	श्रील	२०८	२०८	२०८	२०८
	नगरपालिका / संपति कर शोध्य	२०८	श्रील	२०८	२०८	२०८	२०८
	विक्रयकर शोध्य	२०८	श्रील	२०८	२०८	२०८	२०८
	कोई अन्य शोध्य	२०८	श्रील	२०८	२०८	२०८	२०८
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	१०८	२०८	२०८	२०८	२०८	२०८
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	१०८	२०८	२०८	२०८	२०८	२०८

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :


(क) स्वयं १३११.५.१०।

(ख) पति या पत्नी १३११।

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है -

शिल्पी।

N. R.
SHRIVASTRA (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
L No-729 शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुण्ठ अशोक कुमार			
2	डाक का पता	ग्राम-पोस्ट-पाला -नारदपुर जिला -७०१६			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	०३७ नवादा (बिहार)			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	राजनीति विष्वलप पार्टी			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मह (i) उल्लिखित मामलों से मिन्न)	1 मठ			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नहीं			
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विकरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	अशोक कुमार	शून्य	30,80000	
	(ख) पति या पत्नी	सरफा उमा	शून्य	36000	
	(ग) आश्रित	जाटक-३ ७५६-२	शून्य	शून्य	
8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	I. स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
9	दायित्व	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	गति				
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	मात्र				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रलेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्परिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 20-03-2014 को सत्यापित किया गया।

भृष्णु कुमार
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। मानवीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जौ उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निर्दिष्ट लिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... ०५१०२१५५३

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है..... २४०८

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... २४०८

NR
Nirmala Kumari
NOTARY, NAWADA